प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2014 प्र0सु0रि0स0 09
   दिनांक 1.12.14
2. धारा 7,8,13 पी.सी. एक्ट 1988
3. (क) अपराध की घटना : 2014
   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 1.12.2014 समय 4:15 पी0एम0.
   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट कम संख्या : 8
4. सूचना का प्रकार : लिखित
5. घटनास्थलः (क) पूर्व दिशा 20 कि0मी0 कार्यालय मण्डी बोर्ड बरवाला जिला पंचकूला ।
6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता

   नाम अजय कुमार

   पिता का नाम श्री कुलवीर सिंह

   राष्ट्रीयता भारतीय

   व्यवसाय बिनैसमैन

   पता वासी म0न0 316,सै0–21, पंचकूला ।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण
   1. श्रीमती सुमन सैक्ट्री कार्यालय मण्डी बोर्ड बरवाला।
   2. श्री रविन्द्र कुमार कार्यालय मण्डी बोर्ड बरवाला

   लिंग <u>पुरूष</u>

   भाषा <u>हिन्दी</u>
8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण <u>कोई नहीं।</u>

प्रथम सूचना रिपोर्ट का विवरण :– सेवा मे, श्रीमान विजिलैंस अफसर पंचकूला निवेदन यह है कि मै अजय कुमार पुत्र श्री कुलवीर सिंह गांव कोथ कंला जिला हिसार हाल मकान न0 316 सै0–21, पंचकूला मे रह रहा हूँ । मैने DKP एसोसियेट के नाम से बरवाला मंडी बोर्ड जिला पंचकूला मे सफाई का टैन्डर वर्ष 2014 से 2015 के लिए लिया हुआ है जिसके लिए प्रत्येक महिने हमारा बिल 16 हजार रू0 बनता है जो मै बिल बनाकर कार्यालय मंडी बोर्ड बरवाला मे जमा करवा देता हूँ। जो कि बिल पास करके मेरे को पेयमैन्ट चैक के द्वारा कर देते है । जो कि मेरे मास सितम्बर, अक्तुबर 2014 दो महीने का बिल जो मैने कुछ माह पहले 16000+16000 रू0 का दे रखा है जिसका चैक मिलना अभी बकाया है जिसके लिए मै कई बार बरवाला मंडी बोर्ड के चक्कर काट चुका हूँ। जिस पर मै श्रीमती सुमन सैक्टरी मंडी बोर्ड बरवाला से मिला । जिसने मुझे कहा कि तुम्हारे 32 हजार रू0 के जो बिल अब मेरे दफतर मे बकाया है मै उनकी पेयमैन्ट के चैक तुम्हे तब तक नही दूंगी जब तक तुम मुझे 15 हजार रू0 बतौर रिश्वत नही दोगे । मैने कहा कि राशि थोड़ी कम कर लो जो मेरी मिन्नत करने पर वह 10 हजार रू0 लेने पर राजी हो गई व कहने लगी कि मै तेरे चैक को तैयार करके रविन्द्र कुमार को दे दूंगी जिसको आप मिलकर 10 हजार रू0 देकर अपना चैक ले लेना। जो श्री रविन्द्र कुमार ने आज दिनांक 1.12.14 को मुझे अपने मोबाईल न0 08901–320967 से मेरे न0 08968–731267 पर समय करीब 8:24 मिनट पर सुबह काल करके मुझे मेरा चैक पैसे लेकर देने बारे कहा जिस पर मैने उसे दोपहर बाद का समय दिया है । जो मै श्रीमती सुमन सैक्टरी व श्री रविन्द्र कुमार को यह रिश्वत नही देना चाहता और यदि नही दूंगा तो वह मुझे मेरा चैक नही देंगे । कृप्या इनके विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जाये । एस.डी– अजय कुमार पुत्र श्री कुलवीर सिंह गांव कोंथ कंला जिला हिसार हाल मकान न0 316 सै0–21 पंचकूला । कार्यवाही पुलिसः– आज मन निरीक्षक मय हमराहीयान मुलाजमान, ए.एस.आई ऋषिपाल न0 27

4/अम्बाला, सि0 सतबीर सिंह न0 601/अम्बाला, सि0 रविन्द्र कुमार न0 289/अम्बाला, ए.एस.आई जगतार सिंह न0 1278/अम्बाला, एच.सी श्यामलाल न0 289/पंचकूला के बा सवारी गाड़ी सरकारी एच.आर. 03 एल–6883 जिसका

चालक एस.आई रणजीत सिंह न0 70/अम्बाला है, के मय तफतीशी बैग के हाजिर कार सरकार डियूटी के सम्बन्ध मे मुख्यायल रा0चौ0ब्यूरो सै0–6, पंचकूला के दफतर के पास हूँ कि श्री अजय कुमार उक्त ने मिलकर एक टाईपशूदा दरखास्त बाबत मांगने रिश्वत राशि विरूद्व श्रीमती सुमन सैक्ट्री मण्डी बोर्ड बरवाला व श्री रविन्द्र कुमार सुपरवाईजर मण्डी बोर्ड बरवाला के दी व दरखास्त के साथ 1000/1000 रू0 वाले 10 करन्सी नम्बरी नोट दिये जिनकी सूची नोट अलग से तैयार की गई । जो मन निरीक्षक ने उक्त मुलाजमान की रेडिंग पार्टी तैयार की जो मजबून दरखास्त से सरेदस्त जुर्म 7,8,पी.सी. एक्ट 1988 का सरजद होना पाये जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदहस्त सि0 सतबीर सिंह न0 601/अम्बाला के थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला भेजकर अनुरोध है कि मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके स्पैशल रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सेवा मे ईलाका मैजीस्टरेट व अन्य प्रतिया सेवा मे अफसरान बाला के व नकल मिसल व असल तहरीर मौका पर आईन्दा के हाथ भिजवाई जाये । जो मन निरीक्षक मय मुलाजमान के मय मुदई के बा सवारी गाड़ी सरकारी पर रवाना कार्यालय डी.सी पंचकूला का होता हूँ । उपायुक्त महोदय से अनुमति रेड ली जाकर आगामी कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी । एस.डी सुरेश कुमार निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला 1.12.14 अज थानाः– आज मन ए.एस.आई को एक लिखित तहरीर नि0 सुरेश कुमार रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला से बराये करने मुकदमा दर्ज प्राप्त हुई उपरोक्त लेख पर अभियोग अकिंत करके सैप्शल रिपोर्ट ईलाका मैजीस्टरेट की सेवा मे बादस्त सि0 सतबीर न0 601/अम्बाला के भेजी जा रही है वा असल तहरीर मय पुलिस मिसल बदहस्त सि0 बर मौका भेजी जा रही है व नकुलात प्रथम रिपोर्ट उच्च अधिकारियों की सेवा मे भेजी जा रही है ।

(स0उ0नि0 रमेश कुमार न0 1193/गुड़गांव)
हस्ता/–
थाना रा0 चौ0 ब्यूरो, पंचकूला